[2021] 7 एस.सी.आर. 52

नवीन सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 320/2021)

15 मार्च 2021

[डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति**]**

जमानत - न्यायालय के रिकॉर्ड में जालसाजी/हेरफेर - प्रत्यर्थी संख्या.2 उसी का लाभार्थी था - धारा 420,467,468,471,120-बी. भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर - सत्र न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या.2 की जमानत याचिका खारिज कर दी - हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया - यदि उचित है - अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या. 2 को अपराध की गंभीरता और जालसाजी और/या न्यायालय के आदेश में हेरफेर से संबंधित मामले की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना नियमित और आकस्मिक तरीके से जमानत पर रिहा कर दिया - इसने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि प्रत्यर्थी नंबर 2 पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471,120-बी के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था और यह कि भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा 10 साल है और जुर्माना/आजीवन कारावास और यहां तक कि भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के तहत अपराध के लिए भी सजा समान है - यदि न्यायालय के रिकॉर्ड में हेरफेर किया जाता है और/या जाली है, तो यह न्याय के प्रशासन में बाधा डालेगा - न्यायालय के रिकॉर्ड में जालसाजी/हेरफेर करना और उसी का लाभ उठाना दो व्यक्तियों के बीच अन्य दस्तावेजों में जालसाजी/हेरफेर करने की तुलना में पूरी तरह से अलग है - न्यायालय के आदेश को जाली बनाने/हेरफेर करने के बहुत गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए और प्रत्यर्थी नंबर. 2 ने उसी का लाभ उठाया, उच्च न्यायालय को जमानत पर रिहा करने में उचित नहीं था - केवल इसलिए कि आरोपपत्र दाखिल किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या. 2 को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है - प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय तदनुसार अस्थिर-भारतीय दंड संहिता-धारा 420,467,468,471,120-बी-न्याय प्रशासन।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित 1. प्रत्यर्थी क्रमांक 2 - आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत मुकदमा चल रहा है। जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर न्यायालय के रिकॉर्ड कीपर द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप न्यायालय के आदेश में छेड़छाड़ और/या हेरफेर करने के बहुत गंभीर हैं और प्रत्यर्थी नं 2 ने किसी अन्य मामले में इस तरह के जाली/हेरफेर किए गए अदालती आदेश का लाभ उठाया है। जांच पूरी होने के बाद प्रत्यर्थी नं. 2 - आरोपी और यहां तक कि आरोप भी तय किए जाने की सूचना है। इस प्रकार, अभियुक्त के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है। [अनुच्छेद 8.1]

2. उच्च न्यायालय ने आरोपी को नियमित और आकस्मिक तरीके से और अपराध की गंभीरता और जालसाजी और/या न्यायालय के आदेश में हेरफेर करने से संबंधित मामले की गंभीरता को देखे बिना जमानत पर रिहा कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह प्रतीत होता है कि उसने केवल यह मत व्यक्त किया है कि चूंकि अभियुक्त की निर्दोषता और संलिप्तता का निर्णय उसके संबंध में साक्ष्य लेने के बाद ही किया जा सकता है, अपराधों की संलिप्तता, संलिप्तता और गंभीरता के बारे में योग्यता पर कुछ भी टिप्पणी किए बिना, मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है और आरोप पत्र दायर किया गया है और अभियुक्त 22.11.2018 से जेल में है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471,120-बी के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा 10 साल और जुर्माना/आजीवन कारावास है और यहां तक कि भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के तहत अपराध के लिए भी इसी तरह की सजा है। इसके अलावा, न्यायालय के रिकॉर्ड में जालसाजी और/या हेरफेर करना और इस तरह के जाली/हेरफेर किए गए न्यायालय के रिकॉर्ड का लाभ प्राप्त करना एक बहुत ही गंभीर अपराध है। यदि अदालती रिकॉर्ड में हेरफेर किया जाता है और/या जाली बनाया जाता है, तो यह न्याय के प्रशासन में बाधा डालेगा। न्यायालय के रिकॉर्ड में जालसाजी/हेरफेर करना और उसी का लाभ उठाना दो व्यक्तियों के बीच अन्य दस्तावेजों में जालसाजी/हेरफेर करने की तुलना में पूरी तरह से अलग है। इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे व्यक्ति को जमानत देने में अधिक सतर्क/गंभीर होना चाहिए था, जिस पर न्यायालय के रिकॉर्ड में जाली/हेरफेर करने का आरोप है और जिसने इस तरह के हेरफेर और जाली न्यायालय के रिकॉर्ड का लाभ

उठाया है, विशेष रूप से जब उस पर आरोप पत्र दायर किया गया है और प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है और आरोप तय किया गया है। [अनुच्छेद 8.2]

3. एक बार जब प्रत्यर्थी संख्या 2 ऐसे जाली/हेरफेर किए गए न्यायालय के आदेश का लाभार्थी है और उसके बाद ऐसे आदेश का लाभ उठाते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं होगा कि यह उसके भाई द्वारा किया गया हो सकता है जो उसकी ओर से पैरोकर कर रहा था। [अनुच्छेद 8.3]

4. यह कहना पर्याप्त है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और न्यायालय के आदेश को जाली बनाने/हेरफेर करने के बहुत गंभीर आरोपों को देखते हुए और उसी का लाभ उठाते हुए, उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी नं. 2 जमानत पर। केवल इसलिए कि आरोप पत्र दायर किया गया है, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अभिलेख अब न्यायालय की अभिरक्षा में है, इसलिए छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है, लेकिन प्रत्यर्थी अभियुक्त के खिलाफ आरोप न्यायालय की अभिरक्षा में न्यायालय के अभिलेख के साथ छेड़छाड़/जालसाजी/हेरफेर करने के हैं। जमानत देने पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता प्रासंगिक विचारों में से एक है, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं. 2 - जमानत पर आरोपी। [अनुच्छेद 8.3]

5. उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं. 2 - जमानत पर अभियुक्त अस्थिर है और खारिज किए जाने और अलग रखे जाने का हकदार है और तदनुसार अलग रखा जाता है। [अनुच्छेद 9]

पी. चिदम्बरम बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ***(2020) 13 एस. सी. सी. 337****; शरद टी. काबरा बनाम भारत* ***संघ (2018) 14 एससीसी 493****; सीमा सिंह बनाम सीबीआई और एक अन्य* ***(2018) 16 एससीसी 10: [2018] 3 एससीआर 355****; बंसी में मनीष सोलंकी बनाम राजस्थान राज्य* ***(2019) 4 एस. सी. सी. 340****; और अमानुल्लाह और एक अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य* ***(2016) 6 एससीसी 699****: [2016] 2 एससीआर 1027-****संदर्भित।*

निर्णय विधि संदर्भ

(2020) 13 एससीसी 337	**करने के लिए भेजा।**	**अनुच्छेद 7.1**
(2018) 14 एससीसी 493	**करने के लिए भेजा।**	**अनुच्छेद 7.1**
[2018] 3 एससीआर 355	**करने के लिए भेजा।**	**अनुच्छेद 7.1**
(2019) 4 एससीसी 340	**करने के लिए भेजा।**	**अनुच्छेद 7.1**
[2016] 2 एससीआर 1027	**करने के लिए भेजा।**	**अनुच्छेद 7.5**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: 2021 की आपराधिक अपील संख्या 320।

2020 के जमानत आवेदन संख्या 1398 में लखनऊ बेंच, लखनऊ में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 22.05.2020 से।

कन्हैय्या सिंघल, प्रसन्ना, चेतन भारद्वाज, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

वी.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, आदर्श उपाध्याय, सुश्री साक्षी कक्कड़, शक्ति सिंह, प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा 2020 के जमानत आवेदन मामले संख्या 1398 में पारित 22.05.2020 के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को 2019 के मामले - अपराध संख्या 433 में पुलिस स्टेशन कोटवाली, जिला उन्नाव में पंजीकृत भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471,120-बी के तहत जमानत पर रिहा कर दिया है, मूल सूचना देने वाले ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. कि सिविल कोर्ट, उन्नाव के अभिलेख रक्षक ने जिला न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश पर प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471,120-बी के अधीन अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त एफ. आई. आर. दर्ज किए जाने से पहले, अपीलार्थी द्वारा इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें लखनऊ पीठ विविध थी। न्यायालय रिकॉर्ड में जालसाजी करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ उसके द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए आदेश की रिट जारी करने के लिए 2018 की पीठ संख्या 37206। उस समय, यह आरोप लगाया गया था कि सेशन ट्रायल नंबर 89-ए/01, राज्य बनाम महेश, भारतीय दंड संहिता की धारा 307,504 और 506, अपराध मामला संख्या 152/2000, पुलिस स्टेशन माखी, जिला उन्नाव के तहत व्हाइटनर का उपयोग करके न्यायालय के रिकॉर्ड में मनगढ़ंत था। अदालती रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई थी और 'महेश' के बजाय 'रमेश' लिखा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा - विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, उन्नाव की टिप्पणियां। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पूर्व दिनांक 14.11.2018 के आदेश में अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, उन्नाव ने न्यायालय के अभिलेख में मनगढ़ंत बातों के संबंध में कुछ टिप्पणियां की थीं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.11.2018 के आदेश में टिप्पणियों को किस दस्तावेज के संदर्भ में किया गया था, इस संबंध में उनकी टिप्पणियों को लेना उचित समझा। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्पश्चात विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 09.01.2019 को अपनी टिप्पणियों/जांच रिपोर्ट भेजी, जिसमें संकेत दिया गया था कि सत्र विचारण संख्या 89-ए/01, राज्य बनाम महेश, भारतीय दंड संहिता की धारा 307,504 और 506,2000 का अपराध मामला संख्या 152, पुलिस स्टेशन माखी, जिला उन्नाव के तहत न्यायिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उच्च न्यायालय ने जिला और सत्र न्यायाधीश, उन्नाव को दिनांक 09.01.2019 के रिकॉर्ड का नोटिस लेने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आवश्यक कार्य किया गया है। इसके बाद विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश पर, रिकॉर्ड कीपर ने प्रत्यर्थी नंबर. 2-महेश के खिलाफ ऊपर बताए गए अपराधों के लिए उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी में किए गए अभिकथनों और आरोपों के अनुसार, 23.12.2002 को सत्र मामला संख्या 583/2000 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उन्नाव द्वारा एक सामान्य आदेश पारित किया गया था राज्य बनाम पप्पु सिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 307/504/506 के तहत पीएस मखी, जिला उन्नाव मामला संख्या 152/2000, सत्र मामला अपराध संख्या 153/2000 और सत्र मामला संख्या 89/2001 राज्य बनाम गुड्डू सिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 307/504/506 के तहत अपराध संख्या 152/2000 कि उसी की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी द्वारा प्राप्त की गई थी। - 04.05.2012 को श्री नवीन सिंह, जिसमें किसी भी आरोपी का नाम नहीं बढ़ाया गया था। उक्त सत्र वाद दिनांक 23.12.2002 के निर्णय की प्रमाणित प्रति अपीलकर्ता को प्राप्त हुई जिसमें प्रत्यर्थी क्रमांक 2 का नाम है - आदेश में महेश का उल्लेख पाया गया। हालाँकि महेश के खिलाफ उपरोक्त सत्रों के मामले में निर्णय पारित नहीं किया गया था। उक्त निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति 04.05.2012 को प्राप्त की गई थी। फैसले के पहले पन्ने में महेश के मामले को अलग कर दिया गया क्योंकि वह फरार था। उक्त आदेश दिनांक 23.12.2002 की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को दिनांक 17.12.2015 को प्राप्त हुई तो उसके आदेश में पृष्ठ 10 पर अभियुक्त का नाम अंकित है - कलम के साथ महेश को जोड़ा गया। इसलिए, यह आरोप लगाया गया कि पहले नाम अंकित किया गया है और सफेदी लागू की गई है, जो एक धोखाधड़ी प्रतीत होती है। दूसरा, आरोपी का नाम-रमेश को पेज नंबर 1 में जोड़ा/डाला गया है, जबकि रमेश के नाम से कोई आरोपी नहीं था। कि यू पी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत एक विशेष मामला संख्या 11/12 अपराध संख्या 132/2002, जिसे इसके बाद 'गैंगस्टर अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया था, महेश के खिलाफ विशेष न्यायालय के न्यायाधीश/गैंगस्टर अधिनियम/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 5, उन्नाव में लंबित था और विचाराधीन था, जिसमें निर्णय की एक प्रमाणित प्रति और महेश सिंह की ओर से दिनांक 23.12.2002 का आदेश, पेपर नंबर बी/346 प्रस्तुत किया गया था, जिससे पता चलता है कि श्री महेश सिंह को उक्त मामले में बरी कर दिया गया था। यह पाते हुए कि महेश सिंह को गैंगस्टर अधिनियम में दिखाए गए सभी मामलों में विशेष मामला संख्या 583/2000 सहित बरी कर दिया गया था, विद्वत विशेष न्यायालय (गैंगस्टर अधिनियम) ने उक्त महेश सिंह को बरी कर दिया। उक्त महेश सिंह न्यायालय के रिकॉर्ड के अंतर्वेशन/हेरफेर/जालसाजी का लाभार्थी है, इसलिए यह आरोप लगाया गया था कि प्रत्यर्थीनंबर 2-मूल आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471,120-बी के तहत अपराध किए हैं।

3.1. उसके बाद और उसकी गिरफ्तारी के बाद, प्रत्यर्थी नंबर 2-महेश-अभियुक्त ने लर्नड सेशन कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर किया। कि अपर सत्र न्यायाधीश, उन्नाव ने दिनांक 07.11.2019 के एक विस्तृत आदेश द्वारा उक्त जमानत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप न्यायालय के अभिलेखों को जाली बनाने के लिए बहुत गंभीर हैं और अभियुक्त उक्त जालसाजी का लाभार्थी है और इसलिए यह उसे जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने - नियमित जमानत के लिए आपराधिक विविध मामला संख्या 1398/2020 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के समक्ष, अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि इस बात की संभावना है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्णय की प्रमाणित प्रति में हेरफेर उसके भाई पप्पु सिंह नामक उसके पैरोकर द्वारा किया गया होगा, जिसने आवेदन किया था और प्रति प्राप्त की थी। यह उसका मामला था कि वह इस तरह के किसी भी कृत्य से अनजान था क्योंकि वह शारीरिक रूप से शामिल नहीं था। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने एक लेख में निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया हैः

> "चूंकि आरोपी की बेगुनाही और संलिप्तता का फैसला उसके संबंध में सबूत लेने के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए, मामले की योग्यता पर कुछ भी टिप्पणी किए बिना, अपराधों की संलिप्तता, संलिप्तता और विच्छेद के रूप में, मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है और आरोप पत्र दायर किया गया है और आरोपी 22.11.2018 से जेल में है, मुझे जमानत देने के लिए जमानत-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों में बल मिलता है।''

4. प्रत्यर्थी संख्या 2 अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल सूचना देने वाले ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। राज्य ने वर्तमान अपील का समर्थन किया है।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी नंबर 2 - आरोपी को जमानत पर रिहा करते समय, उच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ आरोप की गंभीरता और मामले की गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

5.1. यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि यह अदालती रिकॉर्ड में हेराफेरी और जालसाजी का मामला है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की जांच रिपोर्ट के अनुसार, अदालती रिकॉर्ड में अंतर्वेशन हुई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अदालती रिकॉर्ड का अंतर्वेशन और हेरफेर एक बहुत ही गंभीर अपराध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर ध्यान दिया और उसके बाद जिला और सत्र न्यायाधीश को आगे कदम उठाने का निर्देश दिया और उसके बाद विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

5.2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त इस तरह के हेरफेर/जालसाजी का लाभार्थी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के हेरफेर और जाली न्यायालय के आदेश को गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक अन्य मामले में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले में यह जाली आदेश के आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि उसे बरी कर दिया गया है और इस आधार पर विचार करते हुए कि विशेष न्यायालय , गैंगस्टर अधिनियम ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को बरी कर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2-अभियुक्त को इस तरह के जाली, हेरफेर किए गए अदालती आदेश का लाभ मिला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी - अभियुक्त के अनुसार भी हेरफेर उसके भाई पप्पु सिंह द्वारा किया गया हो सकता है जो अपीलार्थी की ओर से पैरोकर थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही में, पप्पु सिंह के साथ-साथ आरोपी महेश की ओर से एक साझा बचाव दायर किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, भले ही कुछ समय के लिए यह मान लिया जाए कि पप्पू सिंह - उसके भाई ने भी ऐसा किया होगा, उस मामले में भी, महेश इस तरह के जाली और हेरफेर किए गए अदालती रिकॉर्ड का लाभार्थी है और वास्तव में, उसे यह प्राप्त हुआ है इस तरह के जाली और हेरफेर किए गए अदालती रिकॉर्ड का लाभ उठाते हुए, अभियुक्त को जागरूक होना चाहिए और वह अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता।

5.3. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह प्रत्यर्थी - महेश सिंह अपराध मामले संख्या 152/2000 और सत्र मामले संख्या 583/2000 में 18 साल तक फरार रहा और वास्तव में, उसका मुकदमा अलग कर दिया गया था।

5.4. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय कोई कारण नहीं दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब प्रत्यर्थी नंबर 2-अभियुक्त न्यायालय के रिकॉर्ड में जालसाजी और हेरफेर के बहुत गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है और मामले की गंभीरता को देखते हुए, उच्च न्यायालय को उसे जमानत पर रिहा करते समय कुछ कारण देने चाहिए थे, हालांकि गुण-दोष पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई थी।

5.5. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी नंबर 2 - आरोपी को जमानत पर रिहा करते समय, उच्च न्यायालय ने केवल यह कहा कि मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है और वह 1 वर्ष और 6 महीने की कैद काट चुका है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के साथ पठित धारा 467 के अनुसार अधिकतम सजा 10 साल और यहां तक कि आजीवन कारावास भी है।

उपरोक्त दलीलें देते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए और उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नंबर 2 - आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए दिए गए फैसले और आदेश को रद्द कर दिया जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपील का समर्थन किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 - उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। दलील दी गई है कि महेश सिंह एक हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट आदि के कई मामले लंबित हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच पर यह पाया जाता है कि, वास्तव में, प्रत्यर्थी नंबर. 2-आरोपी को जाली और हेरफेर किए गए न्यायालय के आदेश का लाभ मिला है और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले में खुद को बरी कर दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए प्रत्यर्थी नंबर 2 - आरोपी के

खिलाफ कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए, उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी नंबर 2 - आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए था।

7. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री साक्षी कक्कड़ ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए और प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश का समर्थन करते हुए जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करके, उच्च न्यायालय ने जमानत देने के प्रसिद्ध मापदंडों के भीतर काम किया है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने कई मामलों में यह मत व्यक्त किया है कि जमानत देने के मुद्दे पर विचार करते समय, न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्याः

(i) आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

(ii) गवाह को प्रभावित करें

(iii) मुकदमे/जाँच से बचना।

7.1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या 2 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मुकदमे से बचने और/या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अब आरोप पत्र भी दायर कर दिया गया है और आरोप 2019 में तैयार किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, सभी छह गवाह सरकारी गवाह हैं और उनमें से अधिकांश न्यायालय के कर्मचारी हैं और इसलिए, प्रत्यर्थी के लिए उन्हें प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में सभी दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय की अभिरक्षा में हैं और इसलिए अभियुक्त के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। समर्थन में, *उन्होंने* ***पी चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो***, (2020) 13 एससीसी 337 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। यह आगे प्रस्तुत किया

जाता है कि इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में प्रत्यर्थी संख्या 2 को फंसाया गया है और गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई मामलों में इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 468,471 से जुड़े मामलों में कारावास की अवधि पर विचार करते हुए अभियुक्त को जमानत दे दी है। भरोसा ***शरद टी काबरा बनाम भारत संघ,*** (2018) 14 एससीसी 493 पर भरोसा रखा गया है**; सीमा सिंह बनाम सीबीआई**, (2018) 16 एससीसी 10***; मनीष सोलंकी बनाम राजस्थान राज्य***, (2019) 4 एससीसी 340। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया स्थापित हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो एफआईआर में और न ही आरोप पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि महेश सिंह और/या उनके किसी परिचित ने आदेश दिनांक 23.12.2002 की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उक्त आदेश महेश सिंह या उनके किसी परिचित द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, तो 2012 की धारा 11 में इसका उपयोग करने का मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है।

7.2. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय के कई अन्य निवेदन किए गए हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त महेश ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामले में कथित रूप से गढ़े गए आदेश का उपयोग नहीं किया है।

7.3. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी सच नहीं है कि प्रत्यर्थी नंबर. 2-आरोपी पिछले 18 वर्षों से फरार है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

7.4. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अब अपीलार्थी और राज्य अभियुक्त के खिलाफ हाथ मिला रहे हैं।

7.5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा मांगी गई जमानत की मंजूरी पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह न तो शिकायतकर्ता है और न ही 2019 के मामले अपराध संख्या 433 में कथित अपराध से प्रभावित व्यक्ति है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके विपरीत, आरोपी को बार के पीछे रखने का उसका व्यक्तिगत उद्देश्य है, क्योंकि अपीलार्थी और उसके पिता अपीलार्थी की पत्नी की हत्या के संबंध में 2019 की प्राथमिकी संख्या 305 में आरोपी हैं। ***अमानुल्लाह बनाम बिहार राज्य,*** (2016) 6 एस. सी. सी. 699 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी, जो कि तीसरा व्यक्ति है और जो विचाराधीन मामले से संबंधित नहीं है और जिसकी अभियुक्त के विरुद्ध व्यक्तिगत शिकायत है, के आग्रह पर वर्तमान आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

7.6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिका भी राजनीति से प्रेरित है और इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि अपीलार्थी के कहने पर वर्तमान अपील पर विचार न किया जाए।

8. संबंधित पक्षों की ओर से विस्तार से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता को सुना और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का अवलोकन किया, जिसके तहत प्रत्यर्थी नंबर. 2 - आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है।

8.1. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471,120-बी के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिला और सत्र न्यायाधीश, उन्नाव द्वारा पारित आदेश पर न्यायालय के रिकॉर्ड कीपर द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। लर्नड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उन्नाव द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के बाद, जिसमें यह कहा गया था कि न्यायालय के रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया है और जाली है, उच्च न्यायालय ने लर्नड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को रिपोर्ट को देखने और आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया और उसके बाद प्रत्यर्थी-अभियुक्त के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। यदि हम आरोपों पर विचार करते हैं, तो उस मामले में, आरोप न्यायालय के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और/या हेरफेर करने के बहुत गंभीर हैं और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दूसरे मामले में इस तरह के जाली/हेरफेर न्यायालय के आदेश का लाभ उठाया है। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अब जांच समाप्त होने के बाद, प्रत्यर्थी-अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और यहां तक कि आरोप

भी बनाए जाने की सूचना है। इस प्रकार, अभियुक्त के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है।

8.2. यदि हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पर विचार करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता और प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराधों और मामले की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया है। आक्षेपित आदेश से, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त को नियमित और आकस्मिक तरीके से और अपराध की गंभीरता और जालसाजी और/या न्यायालय के आदेश में हेरफेर करने से संबंधित मामले की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना जमानत पर रिहा कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने केवल यह मत व्यक्त किया है कि चूंकि अभियुक्त की निर्दोषता और संलिप्तता अपराधों की संलिप्तता, संलिप्तता और गंभीरता के बारे में योग्यता पर कुछ भी टिप्पणी किए बिना, उसके संबंध में साक्ष्य लेने के बाद ही निर्णय ले सकती है, इसलिए मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है और आरोप पत्र दायर किया गया है और अभियुक्त 22.11.2018 से जेल में है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा 10 साल और जुर्माना/आजीवन कारावास है और यहां तक कि भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के तहत अपराध के लिए भी समान सजा है। इसके अलावा न्यायालय के रिकॉर्ड में जालसाजी और/या हेरफेर करना और इस तरह के जाली/हेरफेर किए गए न्यायालय के रिकॉर्ड का लाभ प्राप्त करना एक बहुत ही गंभीर अपराध है। यदि न्यायालय के अभिलेख में हेरफेर किया जाता है और/या जाली बनाया जाता है, तो यह न्याय के प्रशासन में बाधा डालेगा। न्यायालय के अभिलेख में जालसाजी/हेरफेर करना और उसी का लाभ उठाना दो व्यक्तियों के बीच अन्य दस्तावेजों में जालसाजी/हेरफेर करने की तुलना में पूरी तरह से अलग है। इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे व्यक्ति को जमानत देने में अधिक सतर्क/गंभीर होना चाहिए था, जिस पर न्यायालय के रिकॉर्ड में जाली/हेरफेर करने का आरोप है और इस तरह के हेरफेर और जाली न्यायालय के रिकॉर्ड का अधिक लाभ उठाया गया है, विशेष रूप से जब उसे आरोप पत्र में प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है और आरोप तय किया गया है।

8.3. अब, जहां तक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियाँ हैं कि उसने दिनांक 23.12.2002 के विद्वत सत्र न्यायालय के निर्णय और आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं की है जिसमें जालसाजी और हेरफेर के आरोप हैं और उसने गैंगस्टर अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामले में वही प्रस्तुत नहीं किया है। विद्वत विशेष न्यायालय गैंगस्टर अधिनियम द्वारा पारित आदेश से यह प्रतीत होता है कि विद्वत सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 23.12.2002 को पारित निर्णय और आदेश प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त-महेश को बरी दिखाया गया था। उसी के आधार पर, लर्नड स्पेशल कोर्ट ने प्रत्यर्थी नंबर 2-अभियुक्त को बरी कर दिया। इसलिए, वास्तव में, वह उक्त जाली/हेरफेर किए गए अदालती आदेश का लाभार्थी है। विशेष न्यायालय ने इस आदेश का संज्ञान लिया है। यह अभियुक्त की ओर से मामला है कि इसे उसके भाई-पप्पु सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया होगा जो उसकी ओर से पेरोकर कर रहा था। उपर्युक्त न तो यहाँ है और न ही वहाँ। एक बार जब वह इस तरह के जाली/हेरफेर किए गए अदालती आदेश का लाभार्थी हो जाता है और उसके बाद इस तरह के आदेश का लाभ उठाते हुए प्रत्यर्थी - आरोपी के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि यह उसके भाई पप्पु सिंह द्वारा किया गया होगा जो उसकी ओर से पेरोकर कर रहा था।

इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि पप्पु सिंह की बाद में मृत्यु हो गई है। हम गुण-दोष पर आगे कुछ भी व्यक्त नहीं करते हैं और विस्तार में जाते हैं क्योंकि मुकदमा अभी होना बाकी है और गुण-दोष पर कोई और अवलोकन अभियुक्त के मामले को प्रभावित कर सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और न्यायालय के आदेश में हेरफेर/हेरफेर करने के बहुत गंभीर आरोपों को देखते हुए और उसी का लाभ उठाते हुए, उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने के लिए उचित नहीं है। केवल इसलिए कि आरोप पत्र दायर किया गया है, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि चूंकि अभिलेख अब न्यायालय की अभिरक्षा में है, इसलिए छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है, प्रत्यर्थी अभियुक्त के खिलाफ आरोप न्यायालय की अभिरक्षा में न्यायालय के अभिलेख के साथ छेड़छाड़/जालसाजी/हेरफेर करने के हैं। जमानत देने पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता प्रासंगिक विचारों में से एक है, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 - अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

8.4. अब, जहां तक प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि अपीलार्थी को जमानत रद्द करने के लिए वर्तमान आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वास्तव में, यह अपीलार्थी ही था जिसने प्रत्यर्थी संख्या 2-अभियुक्त द्वारा न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उसके बाद, उच्च न्यायालय ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और उसके बाद विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के पास जमानत रद्द करने के लिए वर्तमान आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा भी इस तरह के मामले में, जहां आरोप न्यायालय के आदेश के साथ छेड़छाड़ करने के हैं और किसी भी कारण से राज्य ने जमानत याचिका दायर नहीं की है, लोकस उतना महत्वपूर्ण नहीं है और यह महत्वहीन है।

9. उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य है और तदनुसार अलग कर दिया जाता है।

अब प्रत्यर्थी संख्या. 2 - अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने के परिणामस्वरूप तुरंत आत्मसमर्पण करना है, यदि आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को जमानत देने और मुकदमे को आगे बढ़ाने और कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष पर संचालित करने तक ही सीमित माना जाए।

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।

बिभूति भूषण बोस अपील की अनुमति दी गई।

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।